संख्या–593 / 39–4–2014–5(5) / 2013

प्रेषक,

एस0के रघुवंशी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण,
लखनऊ ।

सतर्कता अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2014

विषयः– उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) हेतु विधान मण्डल द्वारा पारित लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795 / दस–2014–231 / 2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) के लिए आय–व्ययक लेखानुदान विधान मण्डल द्वारा पारित कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 204 के अनुसार समेकित निधि में से विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित धनराशियों के विनियोग किये जाने का प्राधिकार उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–3 सन् 2014) से प्राधिकृत किया गया है । अतः अनुदान संख्या–82 के लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेत्तर–104–सतर्कता–03–सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, (मतदेय) के अन्तर्गत मदवार धनराशियाँ जिनका कुल योग **रू0 95,52,000.00 (रू0 पन्चानबे लाख बावन हजार मात्र)** को व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	मदें	प्रथम चार माह के लिए निर्गत की जाने वाली धनराशि (हजार रू0 में)
(1)	(2)	(3)
1	01–वेतन	4085
2	03–मंहगाई भत्ता	4290
3	04–यात्रा व्यय	100
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
5	06–अन्य भत्ते	555
6	07–मानदेय	3
7	08–कार्यालय व्यय	66
8	09–विद्युत देय	6
9	11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	16
10	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33
11	13–टेलीफोन व्यय	70
12	14–मोटर गाड़ियों का क्रय	0
13	15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि का खरीद	141
14	42–अन्य व्यय	10
15	45–अवकाश यात्रा व्यय	16

16	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0
17	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	11
18	49–चिकित्सा व्यय	100
19	51–वर्दी व्यय	0
	कुल योग	9552

2– उपर्युक्त धनराशियों का प्रदर्शन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में जो व्यय किया जाये वह प्रथम चार माह के लिए लेखानुदान द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे और अनुदान की धनराशि राजकीय कोष में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी ।

3– उक्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा यात्रा–व्यय, कार्यालय व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद तथा टेलीफोन पर व्यय मदों में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित रखा जायेगा । सामान का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा इस विषय पर समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जायेगा । विशिष्ट मदों हेतु प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति, शासन की पूर्वानुमति जहां वांछनीय हो, व्यय के पूर्व अवश्य प्राप्त की जायेगी ।

4– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्रदर्शित अनुदान संख्या–82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेत्तर–104–सतर्कता–03–सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण (मतदेय) के अन्तर्गत सुसंगत लेखा शीर्षक/मानक मदों के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव ।

संख्या–593(1)/39–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
5. बजट सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।